**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2686**
**(05 अगस्तन्न2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वित्तीय निपटान**

**2686. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत संस्वीकृत अनेक आवास निर्धारित समय -सीमा के बाद वित्तीय सहायता बंद होने के कारण अधूरे रह गए हैं;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को वित्तीय बाधाओं और संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण अक्सर निर्माण में विलंब का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे आंशिक रूप से निर्मित आवासों को पूरा करने के लिए एकमुश्त वित्तीय निपटान या विशेष छूट पर विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे अपूर्ण आवासों की संख्या तथा उनके पूर्ण होने के लिए आवश्यक निधि का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा या मूल्यांकन किया है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)**

**(क) और (ख):** ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं की सहायता प्रदान की जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 2.95 करोड़ आवास मार्च 2024 तक आवंटित किए जा चुके हैं , जो कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्धारित समय -सीमा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने

09.08.2024 की अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक -आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत आवास अभाव मानदंडों के आंकड़ों और अंतिम आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची के आधार पर की जाती है।

दिनांक 31.07.2025 तक, 4.95 करोड़ आवासों के संचयी लक्ष्य में से , 4.12 करोड़ आवास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ आवासों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और 2.81 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मंत्रालय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को उनके वार्षिक वित्तीय आवंटन के आधार पर एक इकाई मानते हुए सीधे केंद्रीय अंश की निधियां जारी करता है , यह आवंटन प्रत्येक राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन - निर्माण के लिए लंबित आवासों तथा उपलब्ध निधियों के उपयोग और वर्तमान वर्ष में आवंटित लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को सहायता की किश्तों के रूप में निधियों का संवितरण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्माण से जुड़ी किश्तों में, आधार आधारित भुगतान प्रणाली /प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते/डाकघर खाते में सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

i. राज्यों ने लाभार्थियों को बीआईएस -प्रमाणित (आईएसआई चिह्नित ) निर्माण सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी है।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अच्छी गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा गया है।

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण अनुकूल हरित निर्माण डिजाइनों , प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर वित्तपोषण /सहायता और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं।

iv. ग्राम पंचायतें लाभार्थियों को निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध कराने में सहायता कर सकती हैं तथा प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की पहचान करने में सहायता कर सकती हैं।

v. इसके अलावा , स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को उचित दरों पर आपूर्ति करने के लिए गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं।

vi. पीएमएवाई-जी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है , जिसमें शौचालय निर्माण और रोजगार के अवसर आदि के लिए सहायता शामिल है।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए आवास डिजाइन टाइपोलॉजी के विकल्प अपलब्ध कराए जा रहे हैं , जिसमें उनकी स्थानीय भू -जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल आपदारोधी विशेषताओं सहित विभिन्न प्रकार के आवास डिजाइन, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और निर्माण सामग्री की उपलब्धता शामिल हैं।

**(ग) एवं (घ):** वर्तमान में, मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(ड.):** पीएमएवाई -जी की सभी स्तरों पर बहुत कड़ी निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और कार्य समय पर पूरा होने पर विशेष जोर दिया जाता है। मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण पूरा करने की गति बढ़ाने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन
ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई -जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।
iii. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवासों की मंजूरी और निर्माण पूरा होने तक की सूक्ष्म निगरानी।
iv. माननीय मंत्री/सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।
v. उन आवासों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए निधियों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की गई है।
vi. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग समीक्षा।
vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर निधि जारी करना।
viii. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

*****